की मात्रा 1966 और 1992 में क्रमशः 45.68 प्रतिशत और 25.32 प्रतिशत थी । जल विद्युत उत्पादन में गिरावट का मुख्य कारण इस अवधि के दौरान ताप विद्युत केन्द्र अधिष्ठापित किये जाने पर अधिक जोर दिया जाना रहा है ।

(घ) मार्च, 1992 तक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, कुल मिलाकर 7832 मेगावाट क्षमता की 42 जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं हेतु निवेश संबंधी स्वीकृति के लिए तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर चुका है ।

विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम

1265. **श्री विनोद शर्मा :** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी संस्थाओं के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करके देश में विद्युत उत्पादन करने के संबंध में समझौते किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने उद्यमों के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया गया है ; और

(ग) इन संयुक्त उद्यमों के माध्यम से देश में कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने का निर्णय किया गया है तथा यह लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिया जायेगा ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत दर में 12 से 15 प्रतिशत तक वृद्धि करने का सरकार का निर्णय

1266. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने **विद्युत** दर में 12 से 15 प्रतिशत तक वृद्धि करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि विद्युत की दरों में वृद्धि के परिणाम-स्वरूप औद्योगिक उत्पादन की लागत में भी वृद्धि हो जायगी तथा इससे देश के निर्यात पर भी प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है । विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों के टैरिफ की संरचना इस प्रकार की होनी चाहिये कि वर्ष के प्रारंभ में निर्धारित निवल परिसंपत्तियों पर न्यूनतम सांविधिक 3% का अधिशेष अर्जित किया जाना सुनिश्चित किया जा सके । टैरिफ का निर्धारण करना संबंधित बोर्ड/राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है ।

(ग) और (घ) विद्युत टैरिफ में वृद्धि किये जाने के कारण औद्योगिक उत्पाद की लागत पर जो प्रभाव पड़ेगा यह भिन्न-भिन्न राज्य के लिये भिन्न-भिन्न होगा, क्योंकि अन्य निवेशों में विद्युत ही एक निवेश होता है और ऊर्जा सघन उद्योगों को छोड़कर सभी लागत घटकों में इस की औसत मात्रा 5% से 6× तक होती है । अतः लागत आधारित विद्युत टैरिफ से औद्योगिक उत्पाद और निर्यात सामग्री की लागत में किसी प्रकार की वृद्धि होने की संभावना नहीं है ।

देश में "प्लांट लोड फैक्टर" की दर

1267. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री रणजीत सिंह :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में "प्लांट लोड फैक्टर" की दर संतोष-जनक नहीं है ;